न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
46/11	16.06.2011	29/11/2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (**R.A.S.**)

उनवान

1. छीतरलाल आत्मज भेरिया जाति गूजर निवासी बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. भंवरलाल आत्मज बजरंग लाल जाति गूजर निवासी उम्मेदपुरा सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रामप्रसाद आत्मज धन्नालाल जाति गूजर
2. गंगाराम आत्मज धन्नालाल जाति गूजर
3. राधेश्याम आत्मज धन्नालाल जाति गूजर
4. परमानन्द आत्मज धन्नालाल जाति गूजर
5. भोजराज आत्मज धन्नालाल जाति गूजर निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
6. रामप्यारी पुत्री धन्नालाल पत्नी मोडूलाल जाति गूजर निवासी उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. मनभर उर्फ अनार बाई पुत्री धन्नालाल पत्नी बृजमोहन जाति गूजर निवासी खेडली घाटा तहसील दीगोद जिला कोटा
8. छोटी पुत्री धन्ना पत्नी रामपाल जाति गूजर निवासी नरपतखेडी तहसील दीगोद जिला कोटा
9. चन्दू बाई बेवा धन्ना जाति गूजर निवासी गोकुलपुरा तहसील दीगोद जला कोटा
10. हीरा बाई पुत्री गोपीराम मृतक जरिये कायम मुकामान–
    10/1. गंगाराम पुत्र हीराबाई जाति गूजर निवासी उम्मेदपुरा सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
    10/2. सोसर बाई पुत्री हीरा बाई पत्नी रामकरण जाति गूजर निवासी तालाब पाडा सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
11. कन्या बाई पुत्री माधो मृतक जरिये कायम मुकामान–
    11/1. लटूरलाल आत्मज कन्या बाई पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति गूजर निवासी उम्मेदपुरा सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
    11/2. राम कुवार आत्मज कन्या बाई पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति गूजर निवासी भूणेन तहसील दीगोद जिला कोटा
    11/3. लेखराज आत्मज कन्या बाई पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति गूजर निवासी भूणेन तहसील दीगोद जिला कोटा

Scanned by CamScanner

11/4. सुशीला बाई पुत्री आत्मज कन्या बाई पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति गूजर निवासी उम्मेदपुरा सुल्तानपुर तहसील दीगोद
11/5. नर्वदा बाई पुत्री कन्या बाई, पत्नी गंगाराम जाति गूजर निवासी झाडोल तहसील दीगोद जिला कोटा
11/6. मन्जू बाई पुत्री कन्या बाई पत्नी महावीर जाति गूजर निवासी खेडली चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा
11/7. सोसर बाई पुत्री कन्या बाई पत्नी मोडू मृतक जरिये कायम मुकामान–
11/7/1. हरिओम आत्मज सोसर बाई पुत्री मोडूलाल
11/7/2. लोकेश आत्मज सोसर बाई पुत्र मोडूलाल जाति गूजर निवासी ग्राम सुनवा तहसील मांगरोल जिला बांरा
11/7/3. कृष्णा पुत्री सोसर बाई पत्नी महावीर जाति गूजर निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बांरा
11/7/4. प्रियंका पुत्री सोसर बाई पत्नी जुगल किशोर जाति गूजर निवासी सुनवा तहसील मांगरोल जिला बांरा
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–188 आरटीएक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थित अभिभाषक –

1. श्री बलराम शर्मा प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री रामप्रसाद शर्मा प्रतिपक्षी न0 1 लगायत 11 की ओर से

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिपक्षीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इन कथनों के साथ पेश किया कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रार्थीगण तथा प्रतिपक्षी नं0 1 ता 11 के शामलाती खातें में ख0नं0 39 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 43 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 92 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 93 रकबा 0.22 हे0, ख0नं0 94 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 95 रकबा 1.13 हे0, ख0नं0 96 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 97 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 98/589 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 201 रकबा 0.29 हे0, ख0नं0 253 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 498 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 13 रकबा 5.47 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी नं0 1 व गंगा व शांति पुत्रियां भेरिया का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी नं0 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 1

Scanned by CamScanner

ता 9 का 1/5 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 10 हीरा का 1/5 हिस्सा व प्रतिपक्षी नं0 1 व प्रतिपक्षी नं0 11 का 1/5 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। खातेदार गंगा व शांति बाई नें अपनें हिस्से की भूमि को प्रार्थी नं0 1 के हक में हक रिलीज कर दिया है। इस कारण उक्त भूमि में प्रार्थी नं0 1 का 1/5 हिस्सा है इस कारण गंगा व शांति बाई को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीगण अपनें 1/5–1/5 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त भूमियां शामलाती खातें में दर्ज होनें कारण प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा करने व कडता लगान आदि जमा करानें में लडाई झगडा करते है इस कारण प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को उपरोक्त भूमि का विभाजन करालें को दिनांक 30.05. 2011 को कहा तो प्रतिपक्षीगण ने विभाजन करानें से इन्कार कर दिया तथा धमकी दी कि यदि प्रार्थीगण ने विभाजन की कार्यवाही की तो वे प्रार्थीगण को उनके 2/5 हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करनें देंगे तथा बिना विभाजन कराये भूमि को खुर्द बुर्द व बैचान कर देंगे। जबकि प्रतिपक्षीगण को उक्त अवैध कृत्य करनें का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि उक्त भूमि का बंटवारा किये बिना ही प्रतिपक्षीगण ने उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बैचान कर दिया गया व प्रार्थी के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा किया तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थीगण का दावा पेश करना ही बैकार हो जावेगा। प्रार्थीगण का केस प्राइमा फेसी केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिपक्षीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 39 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 43 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 92 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 93 रकबा 0.22 हे0, ख0नं0 94 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 95 रकबा 1.13 हे0, ख0नं0 96 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 97 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 98/589 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 201 रकबा 0.29 हे0, ख0नं0 253 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 498 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 13 रकबा 5.47 हे0 भूमि को अथवा उसके किसी भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व बैचान तथा अन्तरण नहीं करें तथा उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण को 2/5 हिस्से की भूमि को काश्त करनें से नहीं रोके और न प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा ही करें।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं0 1 लगायत 11 की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर विशेष आपत्तियां अंकित की कि, प्रार्थीगण ने सर्वथा असत्य तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है जो खारिज होनें योग्य है। विवादित भूमि खातेदार गोप्या की थी तथा उनके 9 वारिस भैरिया, माधो, बजरंगा, हीरा, धन्ना, केसर, पाना, हीरा, मथुरी थे हीरा ने जुगराज को गोद लिया था तथा जुगराज ने न्यायालय एसडीओ दीगोद में जुगराज बनाम छीतरलाल वगे0 मिसल नं0 20/2001 घोषणा व बंटवारें का वाद पेश किया था उक्त वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोंद को डिकी कर विवादित भूमि के सम्बन्ध में सभी सहखातेदारान का 1/9–1/9 हिस्सा माना और उक्त निर्णय व डिकी सभी सहखातेदारान की सहमति से जारी की गई जिसकी पालना में जुगराज का 1/9 हिस्सा अलग होकर उसके खातें दर्ज हो चुका है व शेष विवादित भूमि में सभी सहखातेदारान का 8/9 हिस्सा रहा तथा इसी अनुसार सभी सहखातेदारान का 1/9–1/9 हिससे पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त विवादित भूमियां प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान का 1/5–1/5 हिस्सा नहीं है और न काबिज काश्त है। प्रस्तुत विवादित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में वाद जैरकार होकर निर्णित हो चुका है इस कारण प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र पुनः चलनें योग्य नहीं है। उपरोक्त पूर्व में हुए निर्णय से प्रार्थीगण पाबन्द है तथा उसके विपरीत कथन करनें से एस्टोप्ड है। सभी सहखातेदार 1/9–1/9 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है प्रार्थीगण का 1/5–1/5 हिस्से पर कब्जा काश्त नहीं है इस कारण प्रार्थीगण का केस प्राईमा फैसाई केस नहीं है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है और न अपरिमित क्षति होनें की सम्भावना है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपक्षीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पक्षकारान् को अपना–अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति–युक्त अवसर दिये गये। साक्ष्य में उभयपक्ष की ओर से निम्न दस्तावेजात्/ साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गोकुलपुरा सं0 2066–69 खाता नं0 27
2. छायाप्रति रिलीज डीड दिनांक 30.05.2011

Scanned by CamScanner

3. छायाप्रति नक्शा ट्रेस ग्राम गोकुलपुरा
4. छायाप्रति मिलान क्षेत्रफल ग्राम गोकुलपुरा
5. छायाप्रति तहरीर
6. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गोकुलपुरा सं0 2009–12
7. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गोकुलपुरा सं0 2024–27
8. छायाप्रति प्रतिलिपि खसरा सफाई ग्राम गोकुलपुरा सं0 2013–32
9. छायाप्रति आदेशिका मि0नं0 20/2001
10. छायाप्रति डिक्री
11. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गोकुलपुरा सं0 2058–61
12. छायाप्रति निर्णय दिनांक 22.06.2000 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को तथा विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण द्वारा जवाब के कथनों को दौहराया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर भी विचार किया।

ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 39 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 43 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 92 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 93 रकबा 0.22 हे0, ख0नं0 94 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 95 रकबा 1.13 हे0, ख0नं0 96 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 97 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 98/589 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 201 रकबा 0.29 हे0, ख0नं0 253 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 498 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 13 रकबा 5.47 हे0 भूमि के प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 ता 11, गंगा, शान्ती खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। खातेदार गंगा व शान्ती द्वारा अपनें स्वत्व जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग से अपनें भाई प्रार्थी नं0 1 छीतरलाल के पक्ष में त्याग दिये है, जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। गंगा व शाति पुत्रियां भैरिया द्वारा अपनें स्वत्व प्रार्थी नं0 1 के पक्ष में त्याग दिये जानें के फलस्वरूप प्रार्थी नं0 1 का विवादित आराजी में प्रथम दृष्ट्या 1/5 हिस्सा होना प्रतीत होता है। इसके विपरीत प्रतिपक्षी नं0 1 लगायत 11 द्वारा अपनें जवाब में

Scanned by CamScanner

समस्त खातेदारान का 1/9–1/9 हिस्सा होनें के कथन किये है किन्तु राजस्व अभिलेख के अनुसार भैरिया के वारिसान का 1/5 हिस्सा अंकित है, तथा गंगा व शान्ती द्वारा अपनें स्वत्व त्याग दिये है। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी नं0 1 का विवादित आराजी में 1/5 हिस्सा निहित है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा पारित निर्णय की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में कोई इन्द्राज किया गया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। शेष तथ्य मूलवाद की विषय वस्तु है, जिसका विवेचन मूलवाद में सम्यक साक्ष्योपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है। विवादित आराजी वर्तमान में सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा संयुक्त खातेदारी आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर स्वत्व होनें की अवधारणा है। इस प्रकार प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सहखातेदारान का अपनें हिस्से तक समस्त का होना पाया जाता है।

विवादित भूमि पर भौतिक रूप से कौन काबिज है, इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण द्वारा भिन्न–भिन्न कथन किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के 1/5–1/5 हिस्से पर अपना कब्जा होनें तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा समस्त सहखातेदारान का 1/9–1/9 हिस्से पर कब्जा होनें के कथन किये है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण का 1/5–1/5 हिस्सा होना पाया जाता है, संयुक्त आराजी के सम्बन्ध में आराजी पर समस्त सहखातेदारान का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा होनें की अवधारणा की जाती है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन समस्त सहखातेदारान का अपनें–अपनें हिस्सें तक समान रूप से पाया जाता है।

विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी आराजी है, जिस पर जिस पर समस्त सहखातेदारान के स्वत्व समान है। प्रार्थीगण द्वारा वाद धारा 53–188 आरटीएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। यदि विवादित आराजी को दौरानें वाद खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण के स्वत्व प्रभावित हो सकते है। जिससे अपरिमित क्षति होना प्रार्थीगण हो होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी को मूलवाद के निस्तारण पर्यन्त सुरक्षित रखा जाना न्यायालय का कर्त्तव्य है।

प्रार्थीगण को या प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजी पर या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिष्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेंरिट पर होना है न कि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र के

Scanned by CamScanner

आधार पर। किन्तु मूलवाद के निस्तारण तक विवादित आराजीयात् को सुरक्षित एवं संरक्षित बनाये रखनें हेतु अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 39 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 43 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 92 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 93 रकबा 0.22 हे0, ख0नं0 94 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 95 रकबा 1.13 हे0, ख0नं0 96 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 97 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 98/589 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 201 रकबा 0.29 हे0, ख0नं0 253 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 498 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 13 रकबा 5.47 हे0 भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण पर्यन्त बनाये रखे।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मि0नं0 66/11 के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनॉक 27/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner